

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

विज्ञप्ति संख्या- पी.आर. 182 / 2023

इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2024 के लिए सूचीकृत विद्यार्थियों के द्वितीय डमी सूचीकरण कार्ड समिति की वेबसाइट पर जारी रहने एवं उसमें परिलक्षित त्रुटि का सुधार करने हेतु दिनांक 16.07.2023 तक अवधि विस्तार करने के संबंध में आवश्यक सूचना

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आगामी इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2024 (सत्र 2022-2024) में सम्मिलित होने वाले वैसे सभी विद्यार्थी, जिनका ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन दिनांक 30.01.2023 तक संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा भरा गया था, का डमी सूचीकरण कार्ड (Dummy Registration Card) त्रुटि सुधार हेतु समिति की वेबसाइट seniorsecondary.biharboardonline.com पर दिनांक 30.06.2023 तक अपलोड किया गया था। उक्त अवधि तक डमी सूचीकरण कार्ड में सुधार के उपरांत पुनः संशोधित द्वितीय डमी सूचीकरण कार्ड समिति की उक्त वेबसाइट पर अपलोड करते हुए दिनांक 10.07.2023 तक त्रुटि सुधार हेतु अवसर प्रदान किया गया था। छात्रहित में अंतिम अवसर देते हुए दिनांक 16.07.2023 तक त्रुटि सुधार हेतु अवधि विस्तार किया जाता है।

2. इन्टरमीडिएट स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले सभी कोटि के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के प्रधान को सूचित किया जाता है कि आगामी इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2024 (सत्र 2022-2024) में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों का द्वितीय डमी सूचीकरण कार्ड यूजर आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से डाउनलोड कर अपने संस्थान के विद्यार्थियों को प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे।

3. समीक्षा के क्रम में पाया जा रहा है कि 406 +2 विद्यालय/महाविद्यालय के प्रधान द्वारा सत्र 2022-24 के सूचीकृत विद्यार्थियों का डमी सूचीकरण कार्ड समिति की वेबसाइट से अभी तक डाउनलोड ही नहीं किया गया है, जो वांछनीय नहीं है। ऐसे +2 विद्यालय/महाविद्यालयों के नाम की सूची समिति की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। इन शिक्षण संस्थान के प्रधान को सख्त निदेश दिया जाता है कि डमी सूचीकरण कार्ड समिति की वेबसाइट से डाउनलोड कर विद्यार्थियों को प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी विद्यार्थी के डमी सूचीकरण कार्ड में त्रुटि परिलक्षित हो तो उसका सुधार दिनांक 16.07.2023 तक अनिवार्य रूप से करायेंगे। इसके बावजूद किसी विद्यार्थी के मूल सूचीकरण कार्ड में त्रुटि पायी जाएगी, तो इसकी सम्पूर्ण जवाबदेही संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधान की होगी।

4. विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि विद्यार्थियों के रजिस्टर्ड मोबाइल पर भी द्वितीय डमी सूचीकरण कार्ड समिति की वेबसाइट पर अपलोड होने की सूचना SMS (Message) के माध्यम से भेजी जा रही है, ताकि विद्यार्थी स्वयं भी समिति की वेबसाइट से अपना द्वितीय डमी सूचीकरण कार्ड निम्नवत् प्रक्रिया के तहत डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं:-

i. वेब ब्राउजर के Address Bar में seniorsecondary.biharboardonline.com टाईप कर Enter करेंगे-

ii. वेब पेज पर मौजूद Click Here to Download Dummy Registration Card लिंक पर Click करेंगे।

iii. तत्पश्चात् वेबसाइट का पेज खुलेगा, जहाँ पर विद्यार्थी अपना +2 विद्यालय/महाविद्यालय कोड, नाम, पिता का नाम एवं जन्म तिथि प्रविष्ट कर Submit Button पर Click करेंगे।

iv. इसके बाद विद्यार्थी का Dummy Registration Card दिखेगा जिसे कम्प्यूटर/मोबाइल में Download किया जा सकता है।

5. विद्यार्थी Android Mobile App के माध्यम से भी अपना द्वितीय Dummy Registration Card निम्नांकित प्रक्रिया के तहत डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं:-

i. Google Play Store पर जाएं।

ii. "BSEB InformationApp" को Search करें तथा Download कर Install करें।

iii. MobileApp Open कर Home Page पर जाकर उपलब्ध लिंक www.ssonline.biharboardonline.com पर क्लिक करें।

iv. App पर मांगे गए विवरण को भरें, तत्पश्चात् Dummy Registration Card डाउनलोड करें।

6. सत्र 2022-24 के सूचीकृत विद्यार्थी को निदेश दिया जाता है कि अपने शिक्षण संस्थान के प्रधान के माध्यम से अथवा स्वयं द्वारा समिति की उक्त वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किये गये द्वितीय डमी सूचीकरण कार्ड के विवरणों को भली-भाँति मिलान/देखकर आवश्यक हो लेंगे कि उनके द्वितीय डमी सूचीकरण कार्ड में अंकित किसी विवरणों में त्रुटि तो नहीं है। यदि किसी विद्यार्थी के डमी सूचीकरण कार्ड में किसी तरह की त्रुटि परिलक्षित होती है, तो दिनांक 16.07.2023 तक की अवधि में इस त्रुटि का ऑनलाइन सुधार अपने शिक्षण संस्थान के प्रधान के माध्यम से अनिवार्य रूप से करा लें। किसी विद्यार्थी के डमी सूचीकरण कार्ड में अंकित उनके नाम, माता/पिता के नाम में मात्र लघु स्पेलिंग (ie. A,E,K,M etc) फोटो, जन्म तिथि, जाति, धर्म, राष्ट्रियता, लिंग, विषय, वैवाहिक स्थिति आदि से संबंधित त्रुटि का सुधार ही कराया जा सकता है। विद्यार्थी त्रुटि सुधार कराने हेतु अपने हस्ताक्षर के साथ डमी सूचीकरण कार्ड की दो संशोधित प्रति अपने शिक्षण संस्थान के प्रधान के पास उपलब्ध करा देंगे। इसमें से एक प्रति साध्य के रूप में शिक्षण संस्थान के प्रधान का हस्ताक्षर, मुहर एवं तिथि प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। दूसरी प्रति शिक्षण संस्थान के प्रधान के पास संचारित रहेगा। विदित हो कि विद्यार्थी के नाम, माता/पिता के नाम में पूर्ण परिवर्तन किसी भी स्थिति में नहीं किया जाएगा। भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि त्रुटि संशोधन के क्रम में किसी विद्यार्थी का पूर्ण पहचान बदल दी गयी है, तो उनका सूचीकरण रद्द किया जा सकता है। इसकी सम्पूर्ण जवाबदेही शिक्षण संस्थान के प्रधान की होगी।

7. शिक्षण संस्थान के प्रधान से अनुरोध है कि समिति की उक्त वेबसाइट से डमी सूचीकरण कार्ड डाउनलोड कर अपने हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ अपने संस्थान के सभी विद्यार्थियों को अविलम्ब प्राप्त करा देंगे। साथ ही विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से यह निदेश देंगे कि डमी सूचीकरण कार्ड का वे भली-भाँति अवलोकन कर यह सुनिश्चित हो लें कि उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। यदि किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित हो, तो उसे दिनांक 16.07.2023 तक सुधार करा लेने हेतु संस्थान में जमा किया जाय।

8. उल्लेखनीय है कि शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा ऑनलाइन त्रुटि सुधार के पश्चात् विद्यार्थियों का मूल सूचीकरण प्रमाण पत्र समिति की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा तथा उसी के अधार पर विद्यार्थी का ऑनलाइन परीक्षा आवेदन स्वीकार किया जाएगा एवं प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। डमी सूचीकरण कार्ड में कोई त्रुटि नहीं रह जाय, इसलिए यह अतिआवश्यक है कि शिक्षण संस्थान के प्रधान अपने संस्थान में विद्यार्थी से संबंधित संचारित संगत अगिलेखों से मिलान कर दिनांक-16.07.2023 तक अनिवार्य रूप से त्रुटि का ऑनलाइन सुधार कराना/करना सुनिश्चित करेंगे। विद्यार्थी एवं उनके अभिभावक व्यक्तिगत रूप से विशेष ध्यान देकर निर्धारित तिथि तक सुधार किये गये डमी सूचीकरण कार्ड का अवलोकन कर यह आवश्यक हो लेंगे कि उनके डमी सूचीकरण कार्ड में त्रुटि का सुधार शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा कर दिया गया है। ऑनलाइन त्रुटि सुधार करने/कराने का उत्तरदायित्व शिक्षण संस्थान के प्रधान के साथ-साथ विद्यार्थी एवं उनके अभिभावक की भी होगी।

9. सत्र 2022-24 के विद्यार्थी का ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन भरने जाने के मद में सूचीकरण शुल्क कतिपय शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा अभी तक जमा नहीं किया गया है अथवा कम शुल्क जमा किया गया है, वैसे शिक्षण संस्थानों की सूची समिति की वेबसाइट पर अपलोड है, जिसे देखा जा सकता है। शिक्षण संस्थान के प्रधान दिनांक 16.07.2023 तक अनिवार्य रूप से बकाया शुल्क जमा करना/कराना सुनिश्चित करें। शुल्क जमा नहीं होने की स्थिति में मूल सूचीकरण प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। इसके कारण किसी प्रकार की समस्या होती है, तो इसकी सम्पूर्ण जवाबदेही संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधान की होगी।

10. इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2023 में सम्मिलित विद्यार्थी का सूचीकरण/परीक्षा आवेदन भरने जाने के मद में कतिपय शिक्षण संस्थानों के प्रधान द्वारा अभी तक शुल्क जमा नहीं किया गया है अथवा कम शुल्क जमा किया गया है। जिन शिक्षण संस्थानों के प्रधान द्वारा विद्यार्थियों का शुल्क जमा नहीं किया गया है, उनसे कई बार अनुरोध किया गया है कि शुल्क जमा कर विद्यार्थियों का अंक पत्रादि प्राप्त कर लें। परन्तु उनके द्वारा निदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जो वांछनीय नहीं है। वैसे शिक्षण संस्थानों को पुनः निदेश दिया जाता है कि सत्र 2021-23 का बकाया शुल्क अनिवार्य रूप से दिनांक 16.07.2023 तक जमा कर अंक पत्रादि प्राप्त कर विद्यार्थियों को वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे।

11. ऑनलाइन द्वितीय डमी सूचीकरण कार्ड डाउनलोड करने तथा सूचीकरण/परीक्षा आवेदन के मद में बकाया शुल्क जमा करने में किसी प्रकार की असुविधा होने पर समिति की हेल्पलाइन नं०-0612-2230039 अथवा E-mail ID: reg.bsebhlpdesk@gmail.com पर सूचित कर समस्या का समाधान प्राप्त किया जा सकता है।

परीक्षा नियंत्रक (उ०गा०)